COURT FEE INDIA 10 Rs. भारत दस रुपये TEN RUPEES

COURT FEE INDIA 10 Rs. भारत दस रुपये TEN RUPEES

134

माननीय राजस्व मण्डल मध्य प्रदेश ग्वालियर म0प्र0

R 955/II/06

निगरानी प्रकरण क्रमांक ______ सन 2006

कार्यालय कलेक्टर जिला छतरपुर म0प्र0 स्टाम्प क्रेता का नाम श्रीमति राजेश्वरी सचान ... का नाम ... कलेक्टर दिनांक 23/5/06 अधीक्षक

भागीरथ तनय श्री रघुनन्दन ब्राम्हण निवासी ग्राम
भियांताल तहसील राजनगर जिला छतरपुर म0प्र0- प्रार्थी

बनाम

0 गुल्ली तनय श्री प्यारे लाल अहीर निवासी ग्राम
भियांताल तहसील राजनगर जिला छतरपुर म0प्र0

2. मध्य प्रदेश शासन - प्रतिप्रार्थीगण

निगरानी विरुद्ध आदेश श्रीमान अपर आयुक्त महोदय, सागर संभाग सागर म0प्र0 दिनांक 22/2/06 जो प्रकरण क्र0 442/अ-6/2001-02 में पारित किया गया ।

क्रमांक ______ रजिस्टर्ड पोस्ट द्वारा आज दिनांक 26/5/06 को प्राप्त क्लर्क ऑफ कोर्ट राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

माननीय महोदय,

प्रार्थी सादर निम्न लिखित निगरानी आवेदन पत्र प्रस्तुत करता है :-

1. यह कि भूमि खसरा नं0 00 256/1/2, रकबा 2.000 है0 स्थित ग्राम भियांताल तहसील राजनगर जिला छतरपुर म0प्र0 प्रार्थी के भूमि स्वामी स्वत्व एवं आधिपत्य की भूमि है । और भूमि खसरा नं0 256/1/1 रकबा 1.132 है0 स्थित ग्राम भियांताल तहसील राजनगर मध्य प्रदेश शासन की भूमि है । आवेदक /प्रार्थी की उक्त भूमि का विधिवत सीमांकन एवं तरमीम तहसीलदार राजनगर के प्रकरण क्र0 7/अ-6अ/96-97 के आदेश दिनांक 1-9-97 के आदेशानुसार कब्जे के अनुसार किये जाने के आदेश दिये गये थे । जिसके विरुद्ध अपील प्रति-प्रार्थी ने आवश्यक एवं हितग्राही पक्षकार न होते हुए भी अनुविभागीय अधिकारी राजनगर के न्यायालय में अपील प्रस्तुत की थी जिसके आदेश दिनांक 2/2/98 द्वारा अपील स्वीकार कर तहसीलदार राजनगर का आदेश दिनांक 1/9/97 निरस्त कर दिया गया था तब प्रार्थी द्वारा आयुक्त महोदय, सागर संभाग सागर के न्यायालय में द्वितीय अपील की गयी थी जिसमें दिनांक 13/3/00 को अंतिम आदेश पारित किया

XXXIX(a)BR(H)-11

2

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश–ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक निगरानी 955–दो/2006 जिला–छतरपुर

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
१९ –09–2016	1– आवेदक के अधिवक्ता एस.के. वाजपेयी उपस्थित अनावेदक क्र. 1 की ओर से मुकेश भार्गव अधिवक्ता उपस्थित अनावेदक क्र 2 शासन कीओर से बी.एन. त्यागी अधिवक्ता उपस्थित। उभयपक्ष अधिवक्तागणों के तर्क श्रवण किए। मैने प्रकरण का अवलोकन किया । यह निगरानी अपर आयुक्त सागर संभाग सागर द्वारा प्र.कं. 442/अ–6/01–02 में पारित आदेशदिनांक 22.02.2006 के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी है। 2– आवेदक / अनावेदक अभिभाषक के तर्क सुने तथा अभिलेख का अवलोकन किया । 3– प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि ग्राम भियांताल तहसील राजनगर में स्थित भूमि ख.नं. 256/1/2 रकवा 2.000 हे. भूमि का आवेदक भूमिस्वामी हैं ख.नं. 256/1/1 रकवा 1.132 है0 खसरे में शासकीय दर्ज है लेकिन मौके पर अनावेदक वर्षो से काबिज होकर कृषि कर रहा है। तहसील न्यायालय में आवेदक ने रिकार्ड दुरूस्ती का आवेदन पेश किया जिस पर से प्र.क्र. 7/अ–6–अ/96–97 दर्ज कर अनावेदक को पक्षकार बनाये बिना आदेश दिनांक 01.09.1997 द्वारा नक्शा में	

कृ.पृ.उ.

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
	तरमीम करने का आदेश पारित कर दिया । उक्त आदेश के विरूद्ध अनावेदक ने अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष अपील पेश की जो प्र.कं. 2/अ–6/अपील/97–98 पर दर्ज होकर आदेश दिनांक 02.02.98 द्वारा अपील स्वीकार कर पूर्ववत ख.नं. 256/1/1 की स्थिति ख.नं. 270 एवं 256/1/2 की बीचोबीच नक्शा में अंकित रखे जाने का आदेश पारित किया। उक्त आदेश के विरूद्ध कमिश्नर सागर के समक्ष प्रस्तुत अपील में आदेश दिनांक 13.3.2000 द्वारा प्रकरण अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष पुनः सुनवाई किये जाने बावत प्रकरण प्रत्यावर्तित किया। अनुविभागीय अधिकारी ने आदेश दिनांक 09.01.2001 द्वारा अनावेदक की अपील अनुमति आवेदन स्वीकार किया। उक्त आदेश के विरूद्ध आवेदक ने अपर कलेक्टर छतरपुर के समक्ष निगरानी पेश की जो आदेश दिनांक 18.03.2002 से स्वीकार कर आदेश दिनांक 09.01.2001 निरस्त कर दिया। उक्त आदेश के विरूद्ध अनावेदक ने अपर आयुक्त सागर के समक्ष निगरानी पेश की जो आदेश दिनांक 22.02.2006 द्वारा स्वीकार कर अपर कलैक्टर का आदेश दिनांक 18.03.2002 निरस्त किया गया। इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी है। 4– निगरानी मेमो में उठाये गये बिन्दुओं पर उभय पक्ष के अभिभाषकों के तर्क सुने तथा अधीनस्थ न्यायालयों के	

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
	तरमीम करने का आदेश पारित कर दिया । उक्त आदेश के विरूद्ध अनावेदक ने अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष अपील पेश की जो प्र.कं. 2/अ–6/अपील/97–98 पर दर्ज होकर आदेश दिनांक 02.02.98 द्वारा अपील स्वीकार कर पूर्ववत ख.नं. 256/1/1 की स्थिति ख.नं. 270 एवं 256/1/2 की बीचोबीच नक्शा में अंकित रखे जाने का आदेश पारित किया। उक्त आदेश के विरूद्ध कमिश्नर सागर के समक्ष प्रस्तुत अपील में आदेश दिनांक 13.3.2000 द्वारा प्रकरण अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष पुनः सुनवाई किये जाने बावत प्रकरण प्रत्यावर्तित किया। अनुविभागीय अधिकारी ने आदेश दिनांक 09.01.2001 द्वारा अनावेदक की अपील अनुमति आवेदन स्वीकार किया। उक्त आदेश के विरूद्ध आवेदक ने अपर कलेक्टर छतरपुर के समक्ष निगरानी पेश की जो आदेश दिनांक 18.03.2002 से स्वीकार कर आदेश दिनांक 09.01.2001 निरस्त कर दिया। उक्त आदेश के विरूद्ध अनावेदक ने अपर आयुक्त सागर के समक्ष निगरानी पेश की जो आदेश दिनांक 22.02.2006 द्वारा स्वीकार कर अपर कलैक्टर का आदेश दिनांक 18.03.2002 निरस्त किया गया। इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी है। 4– निगरानी मेमो में उठाये गये बिन्दुओं पर उभय पक्ष के अभिभाषकों के तर्क सुने तथा अधीनस्थ न्यायालयों के	

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
	में त्रुटि की थी। अपर कलेक्टर छतरपुर द्वारा पारित आदेश दिनांक 18.03.2002 को अनावेदक गुल्ली ने अपर आयुक्त सागर के समक्ष निगरानी में चुनौती दी जिसे अपर आयुक्त सागर ने अपने आदेश दिनांक 22.02.2006 से निगरानी आंशिक स्वीकार कर अपर कलेक्टर का आदेश दिनांक 18.03.2002 निरस्त करने की सीमा तक उचित आदेश पारित किया लेकिन प्रकरण अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष पुनः सुनवाई हेतु प्रकरण प्रत्यावर्तित करने में त्रुटि की है ऐसी स्थिति में प्रकरण अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष पुनः सुनवाई हेतु वापिस करने का आदेश का अंश उचित नहीं होने से स्थिर रखे जाने योग्य न होने से संशोधित किया जाता है। 4– उपरोक्त विवेचना के आधार पर निगरानी सारहीन पाये जाने से अमान्य की जाती है। फलतः अपर आयुक्त सागर द्वारा पारित आदेश दिनांक 22.02.2006 एवं अनुविभागीय अधिकारी राजनगर द्वारा पारित आदेश दिनांक 02.02.1998 विधिवत होने से स्थिर रखा जाता है। सदस्य	